न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 710 सन 2024

अनवान :–

1. महावीर पुत्र भादरसिह जाति राजपुत साकिन कानसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 19/9/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 166 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 112 की 32.00 बीधा भूमि वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह जाति राजपूत साकिन कानसर को दिनांक 26.09.1968 व 09.07.1971 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसाासिह के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता भादरसिह के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 166 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 112 की 32.00 कुल 42.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 166 के हाल खसरा न0 1064 की 11.07 बीधा व साबिका खसरा न0 112 के हाल खसरा खसरा न0 1272 की 37.09. बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

भादरराम पुत्र जैसाराम जाति राजपुत साकिन कानसर का देहान्त हो चुका है जिसका एक मात्र जायज वारिसान वादी है जिसके वादी के पिता भादरसिह को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में भादरसिह पुत्र जैसासिह के वारिस की हैसियत से वादी के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह जाति राजपुत साकिन कानसर को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा 166 हाल खसरा न0 1064 एवं साबिका खसरा न0 112 हाल खसरा न0 1272 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा कानसर के खसरा न0 1064/2 की 0.3410हैक्ट व खसरा न0 1272/2 की 2.3520 हैक्ट कुल 2.6910हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि का ही भाग/हिस्सा है।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 166 व 112 की भूमि दिनांक 09.07.1971 व 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी भादरसिह उसके वारिसान वादी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के पिता भादरसिह को वा[illegible] आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसा[illegible] गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी भादरसिह के देह[illegible] वारिसान वादी को गै[illegible]दार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को [illegible]न होता है वादी [illegible]र्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 822 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरा न0 1064/2 की 0.3410 एवं खसरा न0 1272/2 की 2.3520हैक्‍ भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 822 के खसरा न0 1064/2 की 0.3410हैक्‍ एवं खसरा न0 1272 की 2.3520हैक्‍ भूमि जो वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह को दिनांक 09.07.1971 ,26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसाहिस के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता भादरसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 166 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 112 की 32.00 बीधा भूमि वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह जाति राजपूत साकिन कानसर को दिनांक 26.09.1968 व 09.07.1971 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता भादरसिह के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 166 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 112 की 32.00 कुल 42.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 166 के हाल खसरा न0 1064 की 11.07 बीधा व साबिका खसरा न0 112 के हाल खसरा खसरा न0 1272 की 37.09. बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

भादरराम पुत्र जैसाराम जाति राजपुत साकिन कानसर का देहान्त हो चुका है जिसका एक मात्र जायज वारिसान वादी है जिसके वादी के पिता भादरसिह को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में भादरसिह पुत्र जैसासिह के वारिस की हैसियत से वादी के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह जाति राजपुत साकिन कानसर को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा 166 हाल खसरा न0 1064 एवं साबिका खसरा न0 112 हाल खसरा न0 1272 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर [illegible]तदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा कानसर के खसरा न0 1064/2 की [illegible] व खसरा न0 1272/2 की 2.3520 हैक्‍ कुल 2.6910हैक्‍ भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि का ही भाग/हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 166 व 112 की भूमि दिनांक 09.07.1971 व 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी भादरसिह उसके वारिसान वादी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता भादरसिह को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी भादरसिह के देहान्त होने पर उनकी वारिसान वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 822 के खसरा न0 1064/2 की 0.3410 एवं खसरा न0 1272/2 की 2.3520हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 822 के खसरा न0 1064/2 की 0.3410हैक्ट एवं खसरा न0 1272 की 2.3520हैक्ट भूमि जो वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह को दिनांक 09.07.1971 ,26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसाहिस के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता भादरसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 166 की कुल 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 112 की 32.00 बीधा भूमि भादरसिह पुत्र जैसासिह जाति राजपुत निवासी कानसर को दिनांक 09.07.1971 व 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि भादरसिह पुत्र जैसासिह का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस एक मात्र वादी है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादरसिह के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

अर्थात वाद भूमि भादरसिह पुत्र जैसासिह को दिनांक 09.07.1971 व 26.09.1968 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी भादरसिह पुत्र जैसासिह के देहान्त होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने [illegible] कानसर के साबिका खसरा न0 166 के हाल खसरा न0 1064 की 11.07 [illegible] व साबिका खसरा न0 112 के हाल खसरा खसरा न0 1272 की 37.09 [illegible] गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता भादरसिह को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 166 एवं 112 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 1064 व 1272 में परिर्वतन हो चुकी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अर्थात हाल खसरा न0 1064 एवं 1072 की भूमि वादी के पिता भादरसिह को दिनांक 09.07.1971 ,व 26.09.1968 आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता भादरसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखातेदारी वादी के नाम दर्ज है।

वादी के पिता भादरसिह पुत्र जेसासिह जाति राजपुत साकिन कानसर को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा 166 हाल खसरा न0 1064 एवं साबिका खसरा न0 112 हाल खसरा न0 1272 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 1064/2 की 0.3410हैक्ट व खसरा न0 1272/2 की 2.3520हैक्ट कुल 2.6930हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जो वादी के पिता भादरसिह को आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज भादरसिह पुत्र जैसासिह को आवंटन दिनांक 09.07.1971 ,26.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 09.07.1971 ,26.09.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता भादरसिह को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह जाति राजपुत निवासी कानसर (जो सामान्य जाति का सदस्य है) को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 166/हाल खसरा न0 1064/2 की 0.3410हैक एवं साबिका खसरा न0 112 हाल खसरा न0 1272/2 की 2.352हैक कुल 2.6930हैक भूमि आवंटन दिनांक 09.07.1971 ,26.09.1968 का ही हिस्सा है जो आवंटि भादरसिह के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता भादरसिह पुत्र जैसासिह को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 822/804 के खसरा न0 1064/2/1 की 0.3410हैक खसरा न0 1272/2 की 2.3520हैक कुल 2.6930हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/9/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. महावीर पुत्र भादरसिह जाति राजपुत साकिन कानसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 710 सन 2024 निर्णय दिनांक – 19/9/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 822/804 के खसरा न0 1064/2/1 की 0.3410हैक ख खसरा न0 1272/2 की 2.3520हैक कुल 2.6930हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested